

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक प.2(3)(ब)(4320)आ.कृ/ 262-352

दिनांक : 19/05/2020

आदेश

जैसलमेर एवं जालौर जिले में कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की कमी के मध्यनजर टिड्डी के प्रभावी निगरानी, सर्वेक्षण एवं नियंत्रण हेतु कृषि आयुक्तालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 11047-112 दि० 27.12.2019, 11372-81 दि० 04.02.2020 एवं 11450-80 दि० 10.02.2020 द्वारा अन्य जिलों से कार्मिकों को कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, जैसलमेर एवं जालौर के अधीन कार्य व्यवस्थार्थ लगाये गये थे।

उक्त आदेशों के तहत कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत लगाए गये कार्मिकों को उनके मूल पदों पर कार्य करने हेतु कार्य मुक्त करने की कार्यवाही करावें।


  
( डॉ ओम प्रकाश )  
आयुक्त कृषि

क्रमांक प.2(3)(ब)(4320)आ.कृ/ 262-352

दिनांक : 19/05/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज० जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, .....
4. संयुक्त निदेशक कृषि (पौ.सं.) मु०/खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि, .....
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मु० जयपुर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद/उद्यान, .....
7. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (वि.)/उद्यान/जिला विस्तार अधिकारी .....
8. अन्य संबंधित कार्यालयाध्यक्ष .....
9. संबंधित कार्मिक श्री ..... को पालनार्थ।
10. आरक्षी पंजिका।

  
( सीताराम जाट )  
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)